(35) (134)

समक्षः— राजस्व मंडल म0प्र0, ग्वालियर

रा0अपील0क0 .... अपील 1492-PBR/07

श्री अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतकार 04 2006 अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग 2156

दिलीप कुमार पिता भगवानदास धेरवानी, निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी, शांति नगर कटनी,जिला—कटनी म0प्र0

—— अपीलार्थी

विरूद्ध

म0प्र0 शासन
द्वारा—कलेक्टर ऑफ स्टाम्प,जबलपुर

——उत्तरवादी

1821

अपीलार्थी अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के अपील क. 394ब/105 सन् 2004—05 दिलीप कुमार वि0 म0प्र0 शासन में पारित आदेश दिनांक 20/10/06 से व्यथित होकर यह अपील निम्न तथ्यों एवं आधारों पर पेश करता है :—

क्रमांक 3648 पोस्ट द्वारा आज दिनांक 31-8-07 को प्राप्त क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अपील के तथ्य

1. यह कि, अपीलार्थी ने राममनोहर लोहिया वार्ड (नदीपार) कटनी जो कि कटनी नगर का बहुत पिछड़ा वार्ड है, जहां पर गरीब लोग बहुतायत में रहते हैं । वहां पर एक पुराना साधारण मकान 2,00,000/— अंकन दो लाख रूपयों में लालचंद पिता रहदोंमल एवं हीरानंद गांगनदास निवासी जयप्रकाश वार्ड कटनी से दिनांक 02/08/03 में खरीदा था । इसका विकय पत्र निर्धारित स्टाम्प पेपर पर लिखकर उपपंजीयक कटनी के कार्यालय में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया था । उप पंजीयक कटनी ने दुसरे के कहने पर बिना किसी ठोस आधार के अपीलार्थी का विकय पत्र जप्त कर उसकी कीमत मनमाने ढंग से 8,0,3000/— (अंकन आठ लाख तीन हजार रूपयें) निर्धारित कर उस पर स्टॉम्प शुल्क लगाने को कहा था । अधिक कीमत आंकने के कारण अपीलार्थी ने स्टाम्प डियूटी लगाने में असमर्थता जताई थी, जिस पर से स्टाम्प पेपर जप्त कर जिला पंजीयक (कलेक्टर आंफ स्टाम्प) जबलपुर के समक्ष धारा 47 के अंतर्गत निर्धारण हेतु भेजा था ।

2. यह कि, कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जबलपुर ने उप पंजीयक की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण क. 133बी/105 सन् 2002—03 पंजीबद्व कर कार्यवाही शुरू की थी । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जबलपुर द्वारा अपीलार्थी को उसके निवास स्थान पर कोई विधवता सूचना नहीं दी गई और न ही प्रकरण का कोई स्थल निरीक्षण ही किया गया और बिना सुनवाई का अवसर दियें बिना ही मात्र उप पंजीयक की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित कर दिया जो कि गलत है ।

3. यह कि, कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जबलपुर ने प्रकरण की आर्डर शीट दिनांक 19/05/2004 में यह लिखा है कि प्रकरण पेश, अनावेदक

Dilip

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक अपील 1492–पीबीआर/07 जिला -- कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–4–16	उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया इस प्रकरण में आवेदक इस अपील को प्रस्तुत किए जाने के दिनांक से लगातार अनुपस्थित हैं यद्यपि उन्हें आगामी पेशियों की सूचना भी दी गई है किंतु आवेदक या उनके अधिवक्ता निरंतर अनुपस्थित हैं । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । अतः प्रकरण को आवेदक द्वारा रूचि न लेने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	